



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 20-अ0प्र0-04/पाकालि/2012-9(84)/2004

दिनांक: अक्टूबर, 08, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोलिखित सहायक अभियन्ताओं को कार्य हित में स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है :-

क्रम सं.	सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. संख्या, गृह जनपद एवं शैक्षिक योग्यता	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात तैनाती/ आवंटित कार्यालय/स्थान
1	2	3	4
1.	श्री राजकुमार (2002153), लखनऊ डिप्लोमा (मैकेनिकल)	सहायक अभियन्ता, केस्को, कानपुर	उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपो0 लि0 (ऊर्जा प्रणाली में श्री प्रभा शंकर के प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती हेतु)
2.	श्री प्रभा शंकर (2012175), गोरखपुर डिप्लोमा	सहायक अभियन्ता, सी0एल0डी0एस0, लखनऊ (ऊर्जा प्रणाली)	उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपो0 लि0 (ऊर्जा प्रणाली में श्री मनोज कुमार अग्रवाल के प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती हेतु)
3.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल (2001108), वाराणसी बी0ई0/ए0एम0आई0ई0(इलैक्ट्रिकल)	सहायक अभियन्ता, ए0एल0डी0एस0, सारनाथ, वाराणसी (ऊर्जा प्रणाली)	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी

- उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ताओं को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या: 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।
- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह दायित्व होगा कि वे उक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण स्वेच्छा पर होने के कारण स्थानान्तरण नीति के पैरा 2.12 के अनुसार उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 20(1) अ.प्र.-04/पाकालि/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0, केस्को, कानपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, पो0-डी0एल0डब्लू0, वाराणसी।
- निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (आपरेशन/प्रोजेक्ट), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- अपर सचिव (प्रथम)/(द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- पुलिस अपर महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से


(मोहम्मद सगीर)

उप सचिव (अ0प्र0-04)